

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल


भोपाल, दिनांक २५ जुलाई, 2012

क्रमांक : एफ 09/5/2011/नियम/चार, राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मण्डल का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है :-

01	मुख्य सचिव प्रमुख सचिव	मध्य प्रदेश शासन या उनके द्वारा मनोनीत	अध्यक्ष
02	प्रमुख सचिव/ सचिव	मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
03	प्रमुख सचिव/ सचिव,	मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
04	प्रमुख सचिव/सचिव,	मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
05	श्री कालूराम पथिक,	सेवानिवृत्त शिक्षक, दुर्गाचौक, तलैया रोड (सिटी कोतवाली के पीछे) विदिशा	सदस्य
06	श्री के. पी. उपाध्याय,	सेवानिवृत्त सीनियर आडिटर, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, 99/ए लक्ष्मीबाई पड़ाव, लशकर, ग्वालियर, म.प्र. ।	सदस्य
07	डॉ. एल.पी. पाण्डेय,	सेवानिवृत्त सहायक सर्जन, पशु पालन विभाग, 101/ए पार्श्वनाथ नगर, केशरबाग रोड, इन्दौर, म.प्र.	सदस्य
08	श्री राधेश्याम दुबे,	सेवानिवृत्त सहायक संचालक, कृषि विभाग 42/4 ऋषि नगर एक्सटेंशन, उज्जैन म.प्र.	सदस्य
09	डॉ.पी.एन. शुक्ला,	सेवानिवृत्त सहायक सर्जन, पशु पालन विभाग, जी 6/4 माईनिंग कॉलेज रोड, पांडवनगर, शहडोल म.प्र.	सदस्य
10	श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी,	सेवानिवृत्त अधीक्षक, सिंचाई विभाग, 89 वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल म.प्र.	सदस्य
11	संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा,	मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य/संयोजक

- 2/ पेंशनर कल्याण मंडल का कार्यालय, पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल होगा ।
- 3/ पेंशनर कल्याण मंडल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना है ।
- 4/ मण्डल के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा । सदस्य के त्यागपत्र देने पर अथवा किसी भी कारण से मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ /अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।
- 5/ समिति के सदस्यों का यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6-1-84/नि-2/चार, दिनांक 8-10-84 के अनुसार विनियमित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनीष रस्तोगी)

सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-5/2012/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 2012

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त. विभाग